न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

राजस्थान सरकार ..... बनाम ..... मुख्तयार सिंह आदि .....

संख्या ..... २० ..... / २०२५ अन्तर्गत धारा ..... २१२ RTA .....

क	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
17/3/25	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवाद्य हस्तगत प्रकरण के तीनो बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे बनता प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक २८/०३/२०२५ मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)